

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003132012

दांडिक प्रकरण क.-384 / 12

संस्थापित दिनांक-24.09.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-मुन्नीबाई पत्नी रघुवीर अहिरवार आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम फतेहाबाद।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री दीपक अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 01.02.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 504 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी दिनेश ने दिनांक 03.09.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने घर के बाहर रोड पर खड़ा था तभी मुन्नीबाई पत्नी रघुवीर दारु पीकर आई और उसकी मां को गालियां देने लगी और जब उसने मना किया तो मुन्नीबाई उससे झूम गई और पीठ में काट लिया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 295/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 323, 504 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 03.09.12 को सुबह दस बजे फरियादी के घर के पास रोड पर फतेहाबाद में दिनेश को दांतों से काटकर उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मुन्नीबाई पत्नी कोमल, अ.सा. 02 दिनेश की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 मुन्नीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है तथा फरियादी को भी जानती है। फरियादी उसका लड़का है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को मुन्नीबाई से उसकी कहासुनी हो गई थी तभी उसने आकर दिनेश को पीठ में दांतों से काट लिया था। उक्त साक्षी के अनुसार रुपयों के लेन-देन पर से विवाद हुआ था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिनेश की मुन्नीबाई से कोई बातचीत नहीं हुई। अ.सा. 02 दिनेश ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसकी आरोपी से कहासुनी हो गई थी जिस पर से उसने रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी मुन्नीबाई झगड़े के समय उससे चेंट गई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस को प्रपी 04 का ए से ए भाग का कथन देने से इंकार किया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मामले के फरियादी ने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा उसे दांतों से काटा गया था। यद्यपि अ.सा. 01 के अनुसार आरोपी ने फरियादी को दांतों से काटा था, किंतु फरियादी ने स्वयं इस बात से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा उसे दांतों से काटा गया था। इस प्रकार मामले का फरियादी स्वयं इस बात से इंकार कर रहा है कि आरोपी ने उसे दांतों से काटा था। ऐसी दशा में जबकि मामले का फरियादी ही स्वयं इस तथ्य से इंकार कर रहा हो कि आरोपी द्वारा उसके साथ दांतों से काटकर उपहति कारित की गई है तो मात्र अ.सा. 01 की साक्ष्य के आधार पर कोई निष्कर्ष देना समीचीन प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी की पीठ में दांतों से काटकर उपहति कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)